



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02012021-224146
CG-DL-E-02012021-224146

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4261]
No. 4261]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 31, 2020/पौष 10, 1942
NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 31, 2020/PAUSHA 10, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2020

का.आ. 4851(अ):— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर जिले में नवीन प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH59A ग्रीनफील्ड संरक्षण संयोजकता से इंदौर - हरदा खंड के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 29.130 (अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अनुविभाग कम्पेल खुडेल) जिला इंदौर तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अनुविभाग कम्पेल खुडेल को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा

ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर जिले में नवीन प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH59A ग्रीनफील्ड संरेखण संयोजकता से इंदौर - हरदा खंड के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 1.200 (अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अनुविभाग कम्पेल खुडेल)

जिला इंदौर के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश		जिले का नाम: इंदौर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: इंदौर					
गांव का नाम: कनाडिया					
1	34	निजी	सिंचित	0.3770000(हेक्टेयर)	0.3770000
2	35	निजी	सिंचित	0.7350000(हेक्टेयर)	0.7350000
3	36	सरकारी	असिंचित	0.1330000(हेक्टेयर)	0.1330000
4	38	निजी	सिंचित	0.4740000(हेक्टेयर)	0.4740000
5	39	निजी	सिंचित	0.8510000(हेक्टेयर)	0.8510000
6	40	निजी	सिंचित	1.6170000(हेक्टेयर)	1.6170000
7	41	सरकारी	असिंचित	0.3310000(हेक्टेयर)	0.3310000
8	42	निजी	सिंचित	0.0870000(हेक्टेयर)	0.0870000
9	46	सरकारी	असिंचित	0.0210000(हेक्टेयर)	0.0210000
10	53	निजी	सिंचित	0.7560000(हेक्टेयर)	0.7560000
11	58	निजी	सिंचित	0.4120000(हेक्टेयर)	0.4120000
12	59	सरकारी	असिंचित	0.0450000(हेक्टेयर)	0.0450000
गांव का नाम: खजराना					
1	241	सरकारी	असिंचित	0.0460000(हेक्टेयर)	0.0460000
2	242/4	निजी	असिंचित	0.1020000(हेक्टेयर)	0.1020000
3	245	निजी	असिंचित	0.2200000(हेक्टेयर)	0.2200000
4	246	सरकारी	असिंचित	0.2270000(हेक्टेयर)	0.2270000

5	247/2	अन्य	असिंचित	0.0280000(हेक्टेयर)	0.0280000
6	247/4	अन्य	असिंचित	0.0560000(हेक्टेयर)	0.0560000
7	247/5	अन्य	असिंचित	0.4340000(हेक्टेयर)	0.4340000
8	247/6	अन्य	असिंचित	0.1860000(हेक्टेयर)	0.1860000
9	247/7	अन्य	असिंचित	0.0590000(हेक्टेयर)	0.0590000
10	248/1/1	अन्य	असिंचित/सिंचित	0.1210000(हेक्टेयर)	0.1210000
कुल				7.3180	7.3180

[फा. सं. NHAI/PIU/IND/karnawad green field 3a/2019/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31th December, 2020

S.O.4851(E):— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of Newly Proposed Green Field Alignment section Indore-Harda section of National Highway Number NH59A in the stretch of land from Km 0.000 to Km 29.130 (Sub Divisional Officer (Revenue) Kampel Khudel Indore) in the district of INDORE in the state of MADHYA PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub Divisional Officer (Revenue) Kampel Khudel Indore in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling Newly Proposed Green Field Alignment section Indore-Harda section of National Highway Number NH59A in the stretch of land from Km 0.000 to Km 1.200 (Sub Divisional Officer (Revenue) Kampel Khudel Indore) in the district of INDORE in the state of MADHYA PRADESH

State: MADHYA PRADESH			District: INDORE		
S.No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Indore					
Village: Kanadiya					
1	34	Private	Irrigated	0.3770000(Hectare)	0.3770000
2	35	Private	Irrigated	0.7350000(Hectare)	0.7350000

3	36	Government	Unirrigated	0.1330000(Hectare)	0.1330000
4	38	Private	Irrigated	0.4740000(Hectare)	0.4740000
5	39	Private	Irrigated	0.8510000(Hectare)	0.8510000
6	40	Private	Irrigated	1.6170000(Hectare)	1.6170000
7	41	Government	Unirrigated	0.3310000(Hectare)	0.3310000
8	42	Private	Irrigated	0.0870000(Hectare)	0.0870000
9	46	Government	Unirrigated	0.0210000(Hectare)	0.0210000
10	53	Private	Irrigated	0.7560000(Hectare)	0.7560000
11	58	Private	Irrigated	0.4120000(Hectare)	0.4120000
12	59	Government	Unirrigated	0.0450000(Hectare)	0.0450000
Village: Khajrana					
1	241	Government	Unirrigated	0.0460000(Hectare)	0.0460000
2	242/4	Private	Unirrigated	0.1020000(Hectare)	0.1020000
3	245	Private	Unirrigated	0.2200000(Hectare)	0.2200000
4	246	Government	Unirrigated	0.2270000(Hectare)	0.2270000
5	247/2	Common	Unirrigated	0.0280000(Hectare)	0.0280000
6	247/4	Common	Unirrigated	0.0560000(Hectare)	0.0560000
7	247/5	Common	Unirrigated	0.4340000(Hectare)	0.4340000
8	247/6	Common	Unirrigated	0.1860000(Hectare)	0.1860000
9	247/7	Common	Unirrigated	0.0590000(Hectare)	0.0590000
10	248/1/1	Common	Unirrigated/Irrigated	0.1210000(Hectare)	0.1210000
Total				7.3180	7.3180

[F. No. NHAI/PIU/IND/karnawad green field 3a/2019/3A]

RAJESH GUPTA, Director